न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 95 / 2018

प्रविष्टि दिनांक – 20.07.2018

उनवान

कमला देवी पत्नि मोहनलाल जाति बाबाजी निवासी ग्राम दाखिया, तहसील व जिला टोंक

–आवेदक / वादी

बनाम

विपक्षी

तहसीलदार टोंक

उपस्थित– श्री शिवराज टाण्डी– वकील वादीया

निर्णय

वाद बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक :19/02/2021

वादीया ने जरिये अभिभषक वादपत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जिसके संक्षेप्त में तथ्या इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 573, 574 कुल किता–2 कुल रकवा 3 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम दाखिया तहसील टोंक जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसकी वादीया खातेदार एंव काविज काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम कामेरी अंकित कर रखा है जवकि सही एंव वारस्तविक नाम कमला है। राशनकार्ड, अधारकार्ड, बेंक की पासबुक आदि में कमला ही नाम अंकित है। अतः प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा0पत्र0 स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में कामेरी के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम कमला अंकित करवाया जाकर दुरूस्ती फरमायी जाये।

आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को सावित करने के लिये दस्तावेजात–जमाबन्दी, राशनकार्ड, आधारकार्ड, पंचायत का प्रमाण–पत्र आदि पेश किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी तहसीलदार से जवाव तलव किया गया। पैराकार सरकार ने तहसीलदार की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 23.06.1993 को संपादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में अंकित केता कामेरी देवी की पहचान दो गवाहान द्वारा की कई है मुताविक विक्रय पत्र केता का राजस्व रिकार्ड में नाम सही अंकित है। दाखा खारिज योग्य है। अपने तथ्यों को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी ने जमाबन्दी, विक्रयपत्र दिनांक 23.06.1993 आदि पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम कामेरी देवी अंकित है जो मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1993 के कम में जरिये नामांतकरण अंकित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अंकित नहीं है जिसे दुरूस्त किया जा सके। वादिया ने सह खातेदारों को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। यदि वादिया को अपने नाम की दुरूती करवानी है तो विक्रय पत्र में शुद्धि करवाकर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि नहीं पायी गयी है।

अतः वाद वादिया भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वादीया का वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज भूमि खसरा नम्बर 573, 574 कुल किता–2 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम दाखिया तहसील टोंक जिला टोंक (राज0) अस्वीकार किया जाकर भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 19/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)

आई0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

कमला देवी पत्नि मोहनलाल जाति बाबाजी निवासी ग्राम दाखिया, तहसील व जिला टोंक
–आवेदक/वादी

बनाम

विपक्षी

तहसीलदार टोंक

उपस्थित– श्री शिवराज टाण्डी– वकील वादीया

निर्णय
वाद बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज
दावा नं0 85/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि

अतः वादीया का वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज भूमि खसरा नम्बर 573, 574 कुल किता–2 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम दाखिया तहसील टोंक जिला टोंक (राज0) अस्वीकार किया जाकर भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीज़ान			मिजान		

नोट–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।